

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (भू-अभि) झालावाड़
क्रमांक: एफ 5 /भू-अभि/ स्थापना/18/13 दिनांक: 06/02/2018

—: आदेश :-

सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2015 से अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक राम/भू-अ./परीक्षा/प-279/17/851-882 दिनांक 05.02.2018 की पालना में दिनांक 07.02.2018 से सर्वउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान टोंक में भिजवाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व (भू-अ) नियम 4 (सी.सी) अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोवेशन ट्रेनी के रूप में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई नियुक्त किया जाता है। उक्त नियुक्ति एस बी सिविल रिट याचिका सं० 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं, एस बी सिविल रिट याचिका सं० 8402/2017, मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस बी सिविल रिट याचिका सं० 8454/2017, श्रवण रदाणी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस बी सिविल रिट याचिका सं० 8829/2017, औम प्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस बी सिविल रिट याचिका सं० 15538/2017, मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 11711/2017, मनीष विश्णोई बनाम राजस्थान राज्य, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 8263/2017, रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 7870/2017, भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 13151/2017 पूरन कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 18032/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 16106/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 17676/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 18049/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 13009/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 13089/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 13008/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 13090/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 13011/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 13007/2017, एस बी. सिविल रिट याचिका सं० 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी। इनकी नियुक्ति पटवार प्रशिक्षण शाला में उपस्थित होने की दिनांक से मान्य होगी। इसके पूर्व संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मेडिकल ज्यूरिस्ट से स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाणपत्र दिनांक 06.02.2017 तक जिला कार्यालय झालावाड़ में प्रस्तुत करना होगा।

क्र. सं.	रोल नम्बर	मेरिट क्रमांक	चयनित वर्ग	अभ्यर्थी का नाम मय पिता का नाम
1	111108	1725	ओ०बी०सी० पु०	रजत गोचर / नैनालाल गोचर
2	211117	1734	ओ०बी०सी० पु०	मनीष कुमार / बालचन्द धाकड
3	180971	11237	ओ०बी०सी० म०	पिंकी प्रजापत / हरनारायण प्रजापत
4	195364	89217	सामान्य पु० भूतपूर्व	श्री अशोक सिंह / नवल सिंह

चयनित अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित राशि रू० 91000 का अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा की प्रशिक्षण उपरान्त राज्य

सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्पण करनी होगी। अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई धन राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।

प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को नियमानुसार पटवारी के पद की सेवायें नियमानुसार नियमित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि कोई प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएं नियमित नहीं की जावेगी। प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी। अन्य शर्तें निम्नानुसार रहेगी—

1. नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन आहरित करने के पश्चात् नियमानुसार वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की जा सकती हैं।
2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प 13 (1) वित्त/रूल्स /03 /दिनांक 28.01.04 के अनुसार नवीन पेंशन योजना लागू होगी।

इनकी नियुक्ति पर यह नियम लागू नहीं होगा :-

1. राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना
2. राजस्थान अनुदानित भवन ऋण नियम 1993
3. राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 1970
4. राज्य कर्मचारियों को वाहन क्रय हेतु अग्रिम
5. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996



जिला कलक्टर
झालावाड़

क्रमांक - सम/2018/1003-12

दिनांक:- 06/02/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
2. सचिव (भू-अ) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
3. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
4. संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा
5. प्रधानाचार्य, सर्वउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान, टोंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. जिला सूचना अधिकारी एन0आई0सी0 झालावाड़ को नियुक्ति पत्र अपनी वेबसाइट पर डालने हेतु। **Do. I. T. झालावाड़**
7. श्री.....को पालनार्थ
8. रक्षित पत्रावली।



जिला कलक्टर
झालावाड़